संख्या-25/1173/12-3-2015-100(41)/2008

प्रेषक

इन्द्रदेव पटेल,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 10 अगस्त, 2015**

विषय:- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष** 2015-16 **में मत्स्य पालन की योजनायें के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्रांक-रा.कृ.वि.यो./177/**लेखा**-8/2015-16, **दिनांक** 12.6.2015 **एवं पत्रांक-रा.कृ.वि.यो.**/282/**लेखा**-15/2015-16, **दिनांक** 13.7.2015 **के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष**-2015-16 **के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य विभाग की योजनाओं हेतु धनराशि रू**0-37731 **हजार (रू0 तीन करोड़ सतहत्तर लाख इक्तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार परियोजनाओं के लिए व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं**:-

धनराशि हजार रू0 में

क्र. सं.	**योजना का नाम**	**एस.एल.एस.सी. की बैठक दिनांक**	**अनुमोदित धनराशि**	**लेखाशीर्षक/मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	Promotion of aeration system for intensified fish culture	31.5.2013	3420	**अनुदान संख्या**-11 **के लेखाशीर्षक** 2401-**फसल कृषि कृषि कर्म-आयोजनागत**-800-**अन्य व्यय** -02-**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**-0208-**मत्स्य पालन की योजनायें** -27-**सब्सिडी**	32
2	Establishment of carp hatchery	31.5.2013	9600	**अनुदान संख्या**-11 **के लेखाशीर्षक** 2401-**फसल कृषि कृषि कर्म-आयोजनागत**-800-**अन्य व्यय** -02-**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**-0208-**मत्स्य पालन की योजनायें**-27-**सब्सिडी**	1200
3	Enhancement of fish production through sustainable supply of quality inputs (fingerlings & fish feed) to fish farmers	31.5.2013	46433	**अनुदान संख्या**-11 **के लेखाशीर्षक** 2401-**फसल कृषि कृषि कर्म-आयोजनागत**-800-**अन्य व्यय** -02-**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**-0208-**मत्स्य पालन की योजनायें** -27-**सब्सिडी**	23414

shasanadesh.up.nic.in

4	Capacity building for fisheries production in Balrampur district	31.5.2013	2552	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कृषि कर्म-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0208-मत्स्य पालन की योजनायें-42-अन्य व्यय	416
5	Reservoir fisheries development under NMPS	1.7.2011	66800	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कृषि कर्म-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0208-मत्स्य पालन की योजनायें-42-अन्य व्यय	11808
6	Establishment of Giant Fresh water Prawn Hatchery	19.2.2015	861	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 800-800-अन्य व्यय -02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0202-कृषि विकास के लिए सम्वर्गीय क्षेत्र की पूंजीगत पूंजीगत योजनायें-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	861
				योग	**37731**

(रू0 तीन करोड़ सतहत्तर लाख इक्तीस हजार मात्र)

2- **स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर जाय।**

3- **उपर्युक्त परियोजनाओं में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शासनादेश संख्या**-3497/12-3-2012-100(70)/2012, **दिनांक** 7.11.2012 **के अनुपालन में मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय एवं धनराशि का व्यय तद्नुसार किया जाय।**

4- **स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।**

5- **योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक/निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह भी किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न**

shasanadesh.up.nic.in

हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण

एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

7- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्र्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

8- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-II, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी0बी0टी0 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

9- निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय।

10- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0208-मत्स्य पालन की योजनायें के अन्तर्गत तथा लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0202-कृषि विकास के लिए

shasanadesh.up.nic.in

संवर्गीय क्षेत्र की पूंजीगत योजनायें के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में अंकित मानक मद के नामें डाला डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-465/दस-2015- दिनांक 5 अगस्त, 2015 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

सं0-1173(1)/12-3-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
8- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।
10- वित्त नियंत्रक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
12- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
13- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

shasanadesh.up.nic.in